उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर रिंग रोड़, देहरादून
दूरभाष नम्बर: 0135 2662021, 2662180
ईमेल : secy-uic@gov.in   वैब: http://uic.gov.in

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के सम्यक सम्पादन हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(4) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग के विभिन्न राज्य सूचना आयुक्तों के मध्य निम्नवत् कार्य विभाजन किया जाता है :–

1. **श्री विवेक शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त** निम्नलिखित विभागों के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

वित्त	परिवहन	खेलकूद
ग्राम्य विकास	पेयजल	श्रम एवं सेवायोजन
पंचायत	सूचना प्रौद्योगिकी	सहकारिता
कृषि	रेशम	ग्रामीण अभियंत्रण
लघु सिंचाई	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	चीनी उद्योग / गन्ना विकास
कृषि शिक्षा	मत्स्य पालन	पर्यटन
बायो टैक्नोलॉजी	दुग्ध विकास	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
नागरिक उड्डयन विभाग	उद्योग	चिकित्सा शिक्षा
लोक निर्माण विभाग	नियोजन	कृषि विपणन
जलागम प्रबन्धन		

श्री विवेक कुमार शर्मा उपरोक्त सभी विभागों से सम्बन्धित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में भी उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे।

2. **श्री चन्द्र सिंह नपलच्याल, राज्य सूचना आयुक्त** निम्नलिखित विभागों के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

गृह एवं कारागार	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	राज्य पुनर्गठन
राजस्व	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण	सतर्कता
समाज कल्याण	अल्पसंख्यक कल्याण	सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा
शिक्षा (विद्यालयी एवं माध्यमिक शिक्षा)	पिछड़ा वर्ग कल्याण	सचिवालय प्रशासन
उच्च शिक्षा	आबकारी	सूचना
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	सैनिक कल्याण	पशुपालन
आपदा प्रबन्धन	आयुष	संस्कृत शिक्षा
अभियोजन	युवा कल्याण	प्रोटोकाल
विकलांग आयोग		

श्री चन्द्र सिंह नपलच्याल उपरोक्त सभी विभागों से सम्बन्धित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में भी उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे। परन्तु ऐसी द्वितीय अपील/शिकायत जिनकी सुनवाई श्री चन्द्र सिंह नपलच्याल राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पूर्व से की जा रही है, की सुनवाई श्री चन्द्र सिंह नपलच्याल द्वारा की जाएंगी।

3. **मुख्य सूचना आयुक्त** के द्वारा निम्नलिखित विभागों व अन्य ऐसे विभाग जिनका किसी को आवंटन नहीं हुआ है तथा उनसे संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

विधान सभा	विधायी संसदीय कार्य एवं भाषा	धर्मस्व
उच्च न्यायालय	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	कार्मिक
न्याय	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	आवास
मुख्यमंत्री कार्यालय	ऊर्जा	सामान्य प्रशासन
श्री राज्यपाल सचिवालय	वन एवं पर्यावरण	संस्कृति
सिंचाई	निर्वाचन	

(अनिल चन्द्र पुनेठा)
मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 5917 /उ.सू.आ./2021–22 दिनाँक : 10/01/22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. निजी सचिव मा0 मुख्य सूचना आयुक्त को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव मा0 राज्य सूचना आयुक्त को मा0 राज्य सूचना आयुक्तगणों के अवलोकनार्थ।
4. उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
5. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के समस्त अनुभाग।
6. श्री राजेश नैथानी, निजी सचिव को उत्तराखण्ड सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव